केंद्र ने CAA के तहत नागरकिता प्रदान की

[स्रोत: द हिंदू](#)

केंद्र सरकार ने नागरकिता (संशोधन) अधनियिम [Citizenship (Amendment) Act- CAA], 2019 के तहत आवेदन करने वाले 300 से अधकि लोगों को नागरकिता प्रमाण-पत्र प्रदान कयि हैं।

- नागरकिता संशोधन नयिम, 2024 को **गृह मंत्रालय** द्वारा 11 मार्च, 2024 को अधसिूचति कयि गया था, जसिने दसिंबर, 2019 में संसद द्वारा पारति होने के 4 वर्ष पश्चात् **CAA** के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त कयि।
- CAA **3 पड़ोसी देशों (अफगानसि्तान, बांग्लादेश और पाकसि्तान)** के **6 गैर-मुस्लमि समुदायों** (हिंदू, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई) के **प्रवासयिों (गैर-दस्तावेज़)** को नागरकिता प्रदान करता है, जनि्होंने **31 दसिंबर, 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश कयि था।
- **धारा 6B** (2019 के CAA द्वारा 1955 के नागरकिता अधनियिम में प्रस्तुत) उल्लखिति 3 पड़ोसी देशों के प्रवासयिों के लयि देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की एक वशिष्टि प्रक्रयि की रूपरेखा तैयार करती है।
    - इसने नागरकिता हेतु अर्हता प्राप्त करने की अवधि को मौजूदा **11 वर्ष** से घटाकर **5 वर्ष** कर दयि।
    - इस अधनियिम में कहा गया है कि ऐसे अल्पसंख्यकों को **"अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा"** तथा उन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियिम, 1920 एवं वदिेशी अधनियिम, 1946 की **धारा 3 के तहत दंडनीय धाराओं से छूट दी जाएगी।**
        - **धारा 6B** की प्रवषि्टिसे ऐसे प्रवासयिों को **पंजीकरण** और **देशीयकरण** के माध्यम से नागरकिता प्राप्त करने की अनुमति मिलिती है।

और पढ़ें: नागरकिता संशोधन अधनियिम: अनपैक्ड, केंद्र ने CAA कार्यान्वयन के लयि नयिमों को अधसिूचति कयि, नागरकिता (संशोधन) अधनियिम, 2019

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-granted-citizenship-under-caa